

कब्जा नोटिस

(अचल सम्पत्ति हेतु) [नियम 8(1)]

जबकि, अधोहस्ताक्षरी वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत पंजाब नेशनल बैंक के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते, तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्रत्येक खाते के सामने उल्लिखित तारीखों पर मांग नोटिस जारी करते हैं, जिसमें संबंधित ऋणी/ओं को नोटिस की तारीख/उक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से साठ (60) दिनों के भीतर प्रत्येक खाते के सामने उल्लिखित राशि चुकाने के लिए कहा गया है।

ऋणी द्वारा राशि चुकाने में असफल रहने के कारण, ऋणी और आम जनता को यह सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के साथ प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 12.02.2026 को नीचे वर्णित संपत्ति पर सांकेतिक कब्जा ले लिया है।

ऋणी/जमानतकर्ता/बंधककर्ता का ध्यान सुरक्षित परिसंपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।

विशेष रूप से ऋणी/ओं और आम जनता को एतद्वारा संपत्ति/संपत्तियों से संबंधित कोई भी लेन-देन न करने की चेतावनी दी जाती है और संपत्ति/संपत्तियों से संबंधित कोई भी लेन-देन राशि और उस पर ब्याज पंजाब नेशनल बैंक के प्रभार के अधीन होगा।

क्र. सं.	शाखा का नाम	अचल सम्पत्ति का विवरण	माँग सूचना की तिथि
	खाते का नाम		कब्जा सूचना चस्पा करने की तिथि
	ऋणी का नाम (सम्पत्ति के स्वामी)		माँग सूचना तिथि को बकाया राशि
1.	शाखा- बर्सा (458600) कानपुर	आवासीय मकान श्रीमती रामबेटी यादव पत्नी श्री राजपाल यादव के नाम, मकान नं. बी 618 ईडब्ल्यूएस ब्लॉक बी, योजना नं. 40, बर्सा-7, कानपुर नगर, क्षेत्रफल- सेलडीड के अनुसार 38.88 वर्ग मीटर, बुक नं. 1, वेल्यूम नं. 8373, पृष्ठ नं. 121 से 148 पर क्रम सं. 3107 चौहद्दी:- पूरब- मकान नं. बी 619 ईडब्ल्यूएस, पश्चिम- मकान नं. बी 617 ई, उत्तर- 9 मीटर रोड, दक्षिण- मकान नं. बी 643 ईडब्ल्यूएस	29.09.2025 12.02.2026 रु. 3,98,604.19 (रु. तीन लाख अठ्ठानवे हजार छः सौ चार एवं पैसे उन्नीस मात्र) एवं व्यय दिनांक 10.02.2026 तक तथा अग्रिम ब्याज व विधिक खर्च दिनांक 01.02.2026 से प्रभावी
2.	शाखा- विकास नगर (154320) कानपुर	आराजी नं. 482 का आवासीय भाग, ग्राम रावतपुर, परगना एवं जिला- कानपुर नगर, क्षेत्रफल- 50.00 वर्ग यार्ड, श्रीमती सीमा चौहान पत्नी श्री महावीर के नाम है। मूल सेलडीड दिनांक 06.07.2012 के अनुसार बही नं. 1, जिल्द नं. 6892, पेज नं. 137 से 156 पर क्रम सं. 5649 में उपनिबन्धक कानपुर नगर जोन-4 के कार्यालय में पंजीकृत। चौहद्दी:- पूरब- कल्याण तिवारी का मकान,	02.12.2025 12.02.2026 रु. 6,39,116.20 (रु. छः लाख उनतालीस हजार एक सौ सोलह एवं पैसे बीस मात्र) एवं व्यय दिनांक 10.02.2026 तक